रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042022-235145
CG-DL-E-13042022-235145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2022/चैत्र 23, 1944
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2022/CHAITRA 23, 1944

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2022

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 की अधिनियम सं.23) की धारा 52 की उपधारा (2) के उप-खंड (ख) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

(1) इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में: -

I. विनियम 6 के उप-विनियम 4 के खंड (ख) के तहत अनुसूची में, पंक्ति 2 के स्तम्भ 2 [विभिन्न रीतियों के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की भर्ती एवं अनुपात का ढंग- शीर्षक के तहत] को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(क) पदोन्नति;

(ख) सरकार, विनियामक निकायों, आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति;

(ग) सीधी भर्ती;

(घ) संविदा के आधार पर ।

कुल पदों के 2/3 पद आंतरिक उम्मीदवारों द्वारा तथा 1/3 पद प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा के आधार पर भरे जाने हैं।

इनमें से किसी भी श्रेणी (अर्थात आंतरिक और प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती/संविदा) में अनुपलब्धता के मामले में पद को अन्य श्रेणियों से भरा जा सकता है ।"

II. विनियम 6, के उप-विनियम 4 के खंड (ख) के तहत अनुसूची में, पंक्ति 3, स्तम्भ 3 में [सीधी भर्ती के लिए आयु, अर्हता और अनुभव- शीर्षक के तहत] ग्रेड D, E और F के लिए :

(i) "वित्त और लेखा धारा" शब्दों के बाद, अर्हता के तहत निम्नलिखित को नामतः जोड़ा जाएगा -

"बीमांकिक (एक्चुरियल) धारा में अधिकारियों के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि और भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की सदस्यता (फेलो) ।''

(ii) "प्राधिकरण हेतु उपयोगी मानी गई" शब्दों के बाद, अनुभव के तहत निम्नलिखित को नामतः जोड़ा जाएगा-

"बीमांकिक (एक्चुरियल) धारा में अधिकारियों के लिए, अधिकारी वर्ग में न्यूनतम 11/14/17 वर्षों के पश्च-अर्हता अनुभव में से पांच वर्ष भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) के सदस्य के रूप में ।"

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./28/2022-23]

IndiaCode

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 14 मई 2015 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (प्रथम संशोधन), 2018, भारत के राजपत्र में 31 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (संशोधन), 2020, भारत के राजपत्र में 28 अप्रैल, 2020 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।
4. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (संशोधन), 2021, भारत के राजपत्र में 24 मार्च, 2021 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
5. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम (द्वितीय संशोधन), 2021, भारत के राजपत्र में 1 जुलाई, 2021 को अधिसूचना सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे ।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 13 April, 2022

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. PFRDA/12/RGL/139/11.– In exercise of the powers conferred by sub – section (2) of section 11 read with sub – clause (b) of sub – section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations maybe called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022.

2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015: -

I. In the schedule under clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 6, column 2 of row 2 [under heading- Mode of Recruitment & proportion of posts to be filled up through different modes], shall be substituted as follows:

"(a) Promotion;

(b) Deputation from Govt., Regulatory Bodies, RBI, Banks, Financial Institutions & Academic institutions;

(c) Direct Recruitment;

(d) On contract basis.

2/3rd of the total posts to be filled from internal candidates and 1/3rd posts to be filled by deputation/direct recruitment/ contract.

In case of non-availability in any category i.e. internal and deputation/direct recruitment/ contract, the post may be filled from other categories."

II. In the schedule under clause (b) of sub-regulation 4 of Regulation 6, in column 3, row 3 [under heading- Age, Qualification & Experience for Direct recruits] for Grade D, E & F: –

(i) under Qualification, after the words "Finance & Accounts Stream", the following shall be added, namely: –

"Graduation from a recognized university and Fellow of the Institute of Actuaries of India (IAI) for officers in the Actuarial Stream."

(ii) under Experience, after the words "considered useful to the Authority", the following shall be added, namely: –

"and out of the minimum 11/ 14/ 17 years of post-qualification experience in officer cadre, five years as Fellow of the Institute of Actuaries of India (IAI) for officers in the Actuarial Stream."

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./28/2022-23]

Footnote :

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.

2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31st October, 2018 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.

IndiaCode

3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 28th April, 2020 *vide* Notification No. PFRDA/ 12/RGL/139/11.

4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 24th March 2021 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.

5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 1st July 2021 *vide* Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2022.04.13 22:47:13 +05'30'